

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2025

विषय: सेण्डाई फ्रेमवर्क परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में एक वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबन्धन की सेवाएं लिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं०-207/वरि०सला०/का०अनु०/2024-25, दिनांक 29.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सेण्डाई फ्रेमवर्क परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में एक वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबन्धन की सेवाएं लिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष 09 माह की अवधि हेतु आवंटित की गयी धनराशि ₹ 17,10,000/- में से वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर समर्पित की गयी धनराशि ₹ 17,10,000/- के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल 10 माह (जून 2025 से मार्च 2025 तक) हेतु ₹ 19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05-07-2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत सेण्डाई फ्रेमवर्क परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में एक वरिष्ठ सलाहकार, आपदा प्रबन्धन की सेवाएं लिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष 09 माह की अवधि हेतु आवंटित की गयी धनराशि ₹ 17,10,000/- में से वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर समर्पित की गयी धनराशि ₹ 17,10,000/- के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल 10 माह (जून 2025 से मार्च 2025 तक) हेतु ₹ 19 लाख की वित्तीय स्वीकृति राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 19 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

भवदीय,

Digitally signed by  
SHAIENDRA MANI TRIPATHI  
Date: 26-03-2025 10:50:50 (त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या:-491(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-28/05/2025

प्रेषण संख्या:- 491  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-491  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	1900000 115394749	1900000 115394749
	योग	वर्तमान प्रगामी	1900000 115394749	1900000 115394749

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तिरेपन लाख चौरानवे हजार सात सौ उनचास

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी